



2026:AHC:163625

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27193/2026

राकेश कुमार साव

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : प्रतिभा जायसवाल

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रतिभा जायसवाल और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री घनश्याम मिश्रा की दलीलें सुनीं।
- यह आवेदन मामला अपराध संख्या 31/2025, धारा 103(1), 238, 61(2)ए, 140(1), 140(3), 142, 54 बीएनएस, पुलिस स्टेशन हथिनाला, जिला सोनभद्र में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
- आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक मृतक का भाई है और आरोप के अनुसार, उसकी बहन ने आवेदक की इच्छा के विरुद्ध दुखन नाम के व्यक्ति से शादी कर ली थी, इसलिए उसने अपने दो भाइयों, राहुल और अवधेश के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी।
- इसके बाद वह यह तर्क देती है कि यद्यपि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है, लेकिन यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का मामला है और आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड में कोई ठोस सबूत नहीं है।
- वह आगे कहती हैं कि सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद भी, सह-आरोपी राहुल उर्फ सिद्धार्थ, जो आवेदक का भाई है, को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उसका जमानत आदेश पेपर बुक के पृष्ठ 70 पर संलग्न है। वह आगे कहती हैं कि आवेदक के एक अन्य भाई अवधेश कुमार साव को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.7.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26600/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला बिल्कुल उनके समान है।
- उन्होंने आगे बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 04.11.2025 से यानी पिछले नौ महीनों से अधिक समय से जेल में है।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. हालांकि, यह दोहरे हत्याकांड का मामला है और आरोप के अनुसार, आवेदक ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर अपनी बहन और उसके पति की हत्या की, क्योंकि उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध मृतक दुखन से विवाह किया था। लेकिन यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है और प्रथम दृष्टया आवेदक और उसके भाइयों के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो उन्हें इस अपराध से जोड़ सके। इसके अलावा, सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद भी, आवेदक के दोनों भाई, राहुल उर्फ सिद्धार्थ और अवधेश कुमार साव, इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं और आवेदक का मामला भी उन्हीं के समान है।

10. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 04.11.2025 से यानी पिछले 9 महीनों से अधिक समय से जेल में है।

11. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

12. इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

13. आवेदक **राकेश कुमार साव** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

5 अगस्त, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।